



## मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011  
 फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498  
 ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित स्थापना में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय सीमित चयन परीक्षा - 2012

### परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	13.12.2012
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	28.12.2012
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	29.12.2012
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि	02.01.2013
परीक्षा दिनांक व दिन	27.01.2013 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	कोई शुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 50/- देय होगा।	

### समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियाँ भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
27.01.2013 (रविवार) स्टेनोग्राफर एवं स्टेनोग्राफिस्ट तथा सहायक मानचित्रकार (सिविल/वि/यों) एवं अनुरेखक (सिविल/वि/यों)	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे)

### टिप्पणी :-

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में सेल्युलर, मोबाईल फोन, केलकूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित स्थापना में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय सीमित चयन परीक्षा – 2012

विषय-सूची

स.क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	अध्याय-1 – लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल के विभागीय चयन नियम	3-8
2.	अध्याय-2 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	9-14
3.	प्रारूप-1 – प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	15
4.	प्रारूप-2 – आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	16

## अध्याय-1

## विभागीय चयन नियम

## चयन संबंधी अनुदेश

कार्यालय, प्रमुख अभियंता, लोकनिर्माण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के पत्र 303/040/स्था./2010/1952 दिनांक 06.07.2012 अनुसार लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित स्थापना में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय सीमित चयन परीक्षा - 2012 हेतु निम्न निर्देश लागू होंगे :-

## 1.1 सामान्य :-

यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे, जो कि कार्यालय, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल के अंतर्गत सहायक मानचित्रकार (सि/वि/यॉ) के 40 पद, स्टेनोग्राफर के 29 पद, स्टेनोग्राफर के 04 पद एवं अनुरेखक (सि/वि/यॉ) के 84 पदों पर विभागीय सीमित चयन परीक्षा-2012 के लिए आवेदन कर रहे हैं। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

## 1.2 परिभाषाएँ :-

- (अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।
- (ब) मण्डल से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।
- (स) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

## 1.3 रिक्त पदों का विवरण :-

स.क्र.	पदनाम	कुल रिक्त पद	वेतनमान
1.	स्टेनोग्राफर	04	5200-20200 +ग्रेड पे रूपये 2800/-
2.	स्टेनोग्राफर	29	5200-20200 +ग्रेड पे रूपये 1900/-
3.	सहायक मानचित्रकार (सिविल/वि/यॉ)	40	5200-20200 +ग्रेड पे रूपये 2400/-
4.	अनुरेखक (सिविल/वि/यॉ)	84	5200-20200 +ग्रेड पे रूपये 1900/-
कुल योग:-		157	

## 1.4 शैक्षणिक अर्हताएँ :-

स.क्र.	पदनाम	शैक्षणिक अर्हताएँ
1.	स्टेनोग्राफर	(1) मध्यप्रदेश बोर्ड (10+2 ) 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र । (2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखक तथा टंकण परीक्षा बोर्ड से या मध्यप्रदेश आई.टी.आई. से 100 शब्द प्रतिमिनट से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा तथा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र (3) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । (4) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । (5) डी.ओ.ई. ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा ।

		<p>(6) शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज से मार्डन आफिस मैनेजमेंट कोर्स ।</p> <p>नोट:- स.क्र. 3 से 6 तक किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य ।</p> <p>अथवा</p> <p>संबंधित कार्य का 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव</p>
2.	स्टेनोग्राफिस्ट	<p>(1) मध्यप्रदेश बोर्ड (10+2 ) 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र ।</p> <p>(2) आई.टी.आई. से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र अथवा</p> <p>(3) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद् अथवा मान्यता प्राप्त अन्य संस्था से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र अथवा</p> <p>(4) अखिल भारतीय तकनीकी परीक्षा परिषद् (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रमाण-पत्र ।</p> <p>(5) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा ।</p> <p>(6) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा ।</p> <p>(7) डी.ओ.ई. ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा ।</p> <p>(8) शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज से मार्डन आफिस मैनेजमेंट कोर्स ।</p> <p>नोट:- स.क्र. 5 से 8 तक किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य ।</p> <p>अथवा</p> <p>संबंधित कार्य का 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव</p>
3.	सहायक (सिविल / वि / यों)	<p>मानचित्रकार</p> <p>आई.टी.आई. से वास्तुकला में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) सिविल में मानचित्रकला या (ड्राफ्टसमैन शिप) में सर्वेक्षण का प्रमाण-पत्र/सर्वेयर ट्रेड सर्टिफिकेट या व्यावसायिक इंडस्ट्रीयल कौंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेडिंग (3 वर्षीय) का शिशुक्षता प्रमाण-पत्र (अप्रेंटिशशिप सर्टिफिकेट) या आटो सी.ए.डी. ज्ञान के साथ कम्प्यूटर साइंस में बी.एस.सी. उपाधि या इ.टी.एण्ड टी.ओ.-1 स्तर का प्रमाण-पत्र ।</p> <p>अथवा</p> <p>आई.टी.आई. से वास्तुकला में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग से विद्युत तथा मैकेनिकल यांत्रिकी में मानचित्रकार कला (ड्राफ्टसमैन शिप) में प्रमाण-पत्र या सर्वेक्षण का व्यावसायिक प्रमाण-पत्र (सर्वेयर ट्रेड सर्टिफिकेट) या इंडस्ट्रीयल कौंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेडिंग (3वर्षीय) का शिशुक्षता प्रमाण-पत्र (अप्रेंटिशशिप सर्टिफिकेट) या आटो सी.ए.डी. ज्ञान के साथ कम्प्यूटर साइंस में बी.एस.सी. उपाधि या इ.टी.एण्ड टी.ओ.-1 स्तर का प्रमाण-पत्र</p> <p>अथवा</p> <p>संबंधित कार्य का 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव</p>
4.	अनुरेखक	<p>मध्यप्रदेश माध्यमिक शाला मंडल से ड्राइंग विषय के साथ (10+2) शिक्षा प्राणाली के अन्तर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास का प्रमाण-पत्र या राज्य सरकार द्वारा इससे नियमित मान्यता प्राप्त किसी अन्य कोई बोर्ड या संस्था का प्रमाण-पत्र मान्यता प्राप्त किसी अन्य समतुल्य बोर्ड का उच्चतर माध्यमिक (तकनीकी) परीक्षा का प्रमाण-पत्र डी.ओ.ई.ए.सी.सी.या ओ.स्तर का प्रमाण-पत्र या आटो सी.ए.डी.का प्रमाण-पत्र- उत्तीर्ण (शैक्षणिक योग्यता प्राप्त)</p> <p>अथवा</p> <p>संबंधित कार्य का 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव</p>

नोट:- आवेदक के पास अर्हतायें आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

1.5 पदवार आरक्षण :-

1.5.1 स्टेनोग्राफर के रिक्त पद का विवरण :-

स.क्र.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
01	अनारक्षित	01	00	01
02	अनुसूचित जनजाति	02	00	02
03	अन्य पिछडा वर्ग	01	00	01
योग:-		04	00	04

1.5.2 स्टेनोटाइपिस्ट के रिक्त पद का विवरण :-

स.क्र.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
01	अनारक्षित	12	05	17
02	अनुसूचित जाति	02	01	03
03	अनुसूचित जनजाति	03	01	04
04	अन्य पिछडा वर्ग	04	01	05
योग:-		21	08	29

1.5.3 सहायक मानचित्रकार (सिविल/वि/यों) के रिक्त पद का विवरण :-

स.क्र.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
01	अनारक्षित	16	07	23
02	अनुसूचित जनजाति	07	03	10
03	अन्य पिछडा वर्ग	05	02	07
योग:-		28	12	40

## 1.5.4 अनुरेखक के रिक्त पद का विवरण :-

स.क्र.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
01	अनारक्षित	51	22	73
02	अनुसूचित जनजाति	06	02	08
03	अन्य पिछडा वर्ग	02	01	03
योग:-		59	25	84

नोट:- 1. उपरोक्तानुसार रिक्त पदों के संवर्गवार पुरुष एवं महिला कोटे के अंतर्गत महिला वर्ग के उम्मीदवारों को उनके कोटे के अंतर्गत प्राथमिकता से भरा जायेगा।

2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 796/982/2012/आ.प्र./एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप ऐसे दैनिक वेतन भोगी विभागीय उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदायों जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के हैं तथा यदि वे नियमपुस्तिका की कण्डिका 1.4 में अंकित पदवार निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं तो वे अपने आवेदन पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक हार्ड कॉपी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुए नियुक्ति संबंधी आगामी कार्यवाही हेतु सीधे कार्यालय, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, म.प्र. शासन को प्रेषित करें।

## 1.6 आयु सीमा:-

दिनांक 01.01.2013 की स्थिति में सभी श्रेणीयों एवं सभी संवर्गों के आवेदकों की अधिकतम आयु	50 वर्ष
---	---------

## 1.7 लिखित परीक्षा एवं चयन का आधार:-

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित स्थापना में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय सीमित चयन परीक्षा-2012 हेतु मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन 01 पाली में प्रातः 10.00 बजे से 12.15 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	पाठ्यक्रम	अंक	कुल अंक	परीक्षा का स्तर
स्टेनोग्राफर एवं स्टेनोटाइपिस्ट	म0प्र0 का सामान्य ज्ञान	30	80	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 10+2 हार्ड स्कूल/हायर सेकेण्डरी
	सामान्य हिन्दी	30		
	सामान्य अग्रेजी	20		
कुल अंक:-		80		

पदनाम	पाठ्यक्रम	अंक	कुल अंक	परीक्षा का स्तर
अनुरेखक एवं सहायक मानचित्रकार	म0प्र0 का सामान्य ज्ञान	50	100	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 10+2 हार्ड स्कूल/हायर सेकेण्डरी
	सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान	50		

नोट 1- स्टेनोग्राफर एवं स्टेनोटाइपिस्ट के पद हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों को पृथक-पृथक आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। एक ही ऑनलाईन आवेदन में दोनों पदों हेतु विकल्प उपलब्ध होंगे।

2 - अनुरेखक एवं सहायक मानचित्रकार के पद हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों को पृथक-पृथक आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। एक ही ऑनलाईन आवेदन में दोनों पदों हेतु विकल्प उपलब्ध होंगे।

प्रातः 10.00 बजे से 12.15 बजे तक स्टेनोग्राफर एवं स्टेनोटाइपिस्ट तथा सहायक मानचित्रकार(सिविल/वि/यों) एवं अनुरेखक के पदों हेतु मण्डल द्वारा पृथक-पृथक लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्र होंगे। स्टेनोग्राफर एवं स्टेनोटाइपिस्ट के पद हेतु आयोजित परीक्षा में 80 प्रश्नों (प्रत्येक प्रश्न का 01 अंक) का 02 घण्टे का 01 प्रश्न पत्र होगा तथा सहायक मानचित्रकार (सिविल/वि/यों) एवं अनुरेखक के पद हेतु आयोजित परीक्षा में 100 प्रश्नों (प्रत्येक प्रश्न का 01 अंक) का 02 घण्टे का 01 प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। स्टेनोग्राफर के पदों हेतु 80 अंको की लिखित परीक्षा के अतिरिक्त 20 अंको का हिन्दी मुद्रलेखन/हिन्दी टायपिंग का टेस्ट विभाग स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

#### 1.8 परीक्षा परिणाम:-

1. स्टेनोग्राफर एवं स्टेनोटाइपिस्ट के पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट सूची मण्डल द्वारा लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के प्राप्तांको का उल्लेख नहीं रहेगा। इस सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा आयोजित 20 अंको के हिन्दी मुद्रलेखन/हिन्दी टायपिंग के टेस्ट में सम्मिलित होने के पश्चात अभ्यर्थियों को प्राप्त अंको का विवरण विभाग द्वारा मण्डल को उपलब्ध करवाया जायेगा। तदनुसार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको में हिन्दी मुद्रलेखन/हिन्दी टायपिंग के टेस्ट में प्राप्त अंको को समाहित करते हुए अंतिम परीक्षा परिणाम मण्डल स्तर से जारी किया जायेगा।
2. सहायक मानचित्रकार(सिविल/वि/यों) एवं अनुरेखक (सिविल/वि/यों) के पदों हेतु मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट सूची मण्डल द्वारा प्रमाण-पत्रों के सत्यापन एवं नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

#### 1.9 प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:-

मण्डल द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर विभाग द्वारा योग्य पाए गए अभ्यर्थियों/कर्मचारियों के शैक्षणिक व अन्य समस्त दस्तावेजों का परीक्षण/सत्यापन कार्यालय, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा किया जायेगा।

#### 1.10 मूल निवासी प्रमाण-पत्र:-

वर्तमान में कार्यरत विभागीय लिपिकीय कर्मचारियों के लिये सीमित चयन परीक्षा होने के कारण मूल निवासी प्रमाण-पत्र की बाध्यता नहीं है।

#### 1.11 परिवीक्षा अवधि:-

इस स्कीम के अधीन नियुक्त कर्मचारी को 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षा की कालावधि के दौरान पद के लिये अयोग्य पाया जाता है, तो उसे अपने पूर्व मूल पद प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

#### 1.12 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हर्ताएँ/जानकारी :-

- (क) लिखित परीक्षा में पररूपधारण (इम्प्रसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।
- (ख) कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।
- (ग) मानसिक रूप से अस्वस्थ आवेदक को अयोग्य माना जायेगा।
- (घ) फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो अन्य कोई विवाद की स्थिति में सेवा से पृथक किया जावेगा एवं कोई अपील मान्य नहीं होगी।

(ड) अभ्यर्थियों के ऊपर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधान लागू होंगे।

1.12 यात्रा व्यय का भुगतान:-

लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को मण्डल/विभाग द्वारा कोई यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

1.13 न्याय क्षेत्र/अधिकार :-

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

-----0-----



## अध्याय – 2

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल  
संयुक्त परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण निर्देश :-

- 2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जायेंगे, जिसमें चाही गई समस्त जानकारियों के साथ आवेदित पद का विकल्प व प्राथमिकताक्रम दर्शाना होगा। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी व विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी। आवेदक को विभिन्न श्रेणी के पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 2.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रवेश/चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 2.3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/असत्य जानकारी पाई जाने पर नियुक्ति के किसी भी चरण में अथवा नियुक्ति के पश्चात भी ऐसी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 2.4 आवेदक द्वारा एक बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत यदि वह दूसरी बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है तो उसके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि व फोटो एक समान होने पर आवेदक द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र का क्रमांक प्रदर्शित होगा, और यह जानकारी ली जायेगी कि क्या आवेदक पूर्व में भरे गए आवेदन को निरस्त करना चाहता है ? यदि आवेदक निरस्त करने में सहमत नहीं है, तो उसके द्वारा भरा जा रहा द्वितीय आवेदन नहीं भरा जा सकेगा तथा पहले भरा हुआ आवेदन ही मान्य होगा। दूसरी तरफ सहमत होने पर पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त कर वर्तमान आवेदन को मान्य करते हुए स्वीकार किया जाएगा। इस स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा भुगतान शुल्क राजसात किया जावेगा।
- 2.5 स्कूटनी/ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-  
आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कूटनी की जायेगी। जिन आवेदकों द्वारा नियम पुस्तिका में उल्लेखित फोटो एवं हस्ताक्षर के निर्धारित मापदंड के अनुरूप फोटो/हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं, फोटो अनुपलब्ध है, हस्ताक्षर अनुपलब्ध है, ऐसे प्रकरणों को स्कूटनी उपरांत निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को टेस्ट एडमिट कार्ड जारी नहीं किये जायेगे। आवेदन पत्र निरस्त की सूचना मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 2.6 आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर से संबंधित निर्देश:-  
(i) आवेदन पत्र के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।  
(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।  
(iii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला फोटोग्राफ परीक्षा की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।  
(iv) काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।  
(v) जो फोटोग्राफ ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा, वही फोटोग्राफ काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाना होगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ आवेदक को अपने पास सुरक्षित रखना होगा।  
(vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे किये जाने चाहिए।

- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लघु हस्ताक्षर नहीं किये जाने चाहिए।
  - (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय किये जाने होंगे, इसका विशेष ध्यान रखा जाना होगा।
  - (ix) अंग्रेजी के कैंपिटल लेटर में हस्ताक्षर नहीं किये जाने चाहिए।
  - (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए।
  - (xi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर स्केनिंग उपरांत पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।
- 2.7 ऑनलाईन आवेदन पत्र की जानकारी में संशोधन:-

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- 2.7.1 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि के अगले दिन से 05 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- 2.7.2 संशोधन हेतु निर्धारित 05 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रु. 100/- एवं पोर्टल शुल्क रु. 50/- का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/निःशक्तजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/निःशक्तजन श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- 2.7.3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को अन्य प्रविष्टियों सहित फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर, व्यापम फार्म नंबर, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- 2.7.4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

## 2.8 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

मण्डल द्वारा नियमानुसार मान्य आवेदन-पत्र के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध कराए जायेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :- अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश-पत्र उक्त वेबसाईट से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश-पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.9 परीक्षा शहर व परीक्षा समय :-

लिखित परीक्षा 01 पाली में प्रातः 10.00 बजे से 12.15 बजे तक केवल भोपाल शहर में आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है। परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश-पत्र पर अंकित होगी।

2.10 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

केवल प्रवेश-पत्र एवं काला बॉलप्वाइंट पेन।

2.11 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.12 परीक्षा का प्रश्न-पत्र :-

स्टेनोग्राफर एवं स्टेनोटाइपिस्टके पदो हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 80 प्रश्नों व दो घंटे की अवधि के पृथक-पृथक प्रश्न-पत्र होंगे तथा सहायक मानचित्रकार (सिविल/वि/यों) एवं अनुरेखक (सिविल/वि/यों) के पदो हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों व दो घंटे की अवधि के पृथक-पृथक प्रश्न-पत्र होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.13 अनुचित साधन (Unfair Means, UFM) :-

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

- (क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- (ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- (ङ.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- (च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।
- (छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- (ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- (झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- (ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

2.14 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.15 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, प्रश्नों का निरस्तीकरण एवं बदले में प्रदान किये जाने वाले अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
  2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
  3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
  4. कोई भी विकल्प सही न हो।
  5. यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
  6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
  7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
- प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :- सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.16 प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन :-

प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप-1 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

2.17 मॉडल आंसर्स के संबंध में अभ्यावेदन/फायनल आंसर्स :-

- (1) मॉडल आंसर्स :- परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप-2(मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में

आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

- (2) फायनल आंसर्स :- प्रारूप 01 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 02 में मंडल द्वारा प्रदर्शित मॉडल उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को "की" समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। "की" समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों से संबंधित प्रश्नों/उत्तरों के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेंगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 2.15 अनुसार "की" समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगे। "की" समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

2.18 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

अध्याय-1 व 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मंडल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध होगा।

2.19 अंक सूची की उपलब्धता :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मंडल की वेबसाइट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर उल्लेखित वेबसाइट से अंकसूची प्राप्त/मुद्रित कर सकते हैं। मंडल द्वारा डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा तथा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

2.20 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(द) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

2.21 मण्डल का क्षेत्राधिकार :-

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

2.22 अभिलेखों का संधारण :-

मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन उपरांत अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह तक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। इसके पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों को रद्दी घोषित व नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.23 न्यायिक क्षेत्राधिकार :-

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

---0---

प्रारूप-1  
(देखें नियम 2.16)

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन  
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक  
मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा )

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....  
आवेदक का नाम.....

स्थान .....  
दिनांक .....

**प्रारूप-2**  
(देखें नियम 2.17)

**आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन**

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा )

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक ..... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक .....



## सहमति प्रमाण-पत्र

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित स्थापना में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय सीमित चयन परीक्षा – 2012 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय-1 एवं 2 में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तदनुसार यह सहमति प्रमाण-पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :-.....

पदनाम :-.....

सील :-.....